बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

(बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन)

पत्रांक: WB/SPMU/LSP/1828/2019-93 दिनांक : 08.02.21

प्रेषक,

जितेन्द्र श्रीवास्तव
सचिव, लो.स्वा.अभि. विभाग, बिहार

अमृत लाल मीणा
अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय : जलापूर्ति योजनाओं के बेहतर व सुदीर्घ संचालन, रख रखाव, अनुरक्षण तथा पेयजल की सुरक्षा, इसके समुचित व किफायती उपयोग हेतु सामुदायिक भागीदारी के लिए वार्ड स्तर पर जल चौपाल का आयोजन कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत है कि 'हर घर नल का जल' निश्चय अंतर्गत राज्य के सभी परिवारों को गृह जल संयोजन के द्वारा उनके घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। जलापूर्ति योजनाओं के बेहतर व सुदीर्घ संचालन, रख रखाव एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है कि इस प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित किया जाये और मानकों के अनुरूप जलापूर्ति की सेवा प्रदायता को अधिकाधिक जनोन्मुखी और पारदर्शी बनाया जाय। साथ ही जल प्रयोक्ता को पेयजल की सुरक्षा, इसके समुचित व किफायती उपयोग के लिए जागरूक बनाया जाय।

उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अंतर्गत आच्छादित ग्राम पंचायतों में अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के वार्डों में पम्प ऑपरेटरों और पंचायती राज विभाग अंतर्गत आच्छादित ग्राम पंचायतों में अनुरक्षकों के द्वारा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) के सहयोग से प्रति माह ''जल चौपाल'' का आयोजन किया जायेगा।

1. **'जल चौपाल' के प्रतिभागी :** वार्ड अंतर्गत जलापूर्ति योजना के उपभोक्ता समूह विशेषकर महिलाएँ और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य। बैठक की अध्यक्षता WIMC अध्यक्ष करेंगे।
2. **'जल चौपाल' के आयोजन हेतु स्थान :** यथासंभव जलापूर्ति योजना का पम्प हाउस अथवा सार्वजनिक चबूतरा या सर्वसुलभ सार्वजनिक स्थान।
3. **'जल चौपाल' की तिथि और समय :** प्रत्येक माह के प्रथम वृहस्पतिवार को WIMC अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित समय पर।
4. **'जल चौपाल' का संचालन :** WIMC सचिव के सहयोग से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग आच्छादित पंचायतों में पम्प ऑपरेटर और पंचायती राज विभाग आच्छादित पंचायतों में अनुरक्षक के द्वारा।

c. **विभागीय पदाधिकारियों** के द्वारा नियमित रूप से योजनाओं का निरीक्षण किया जायेगा और प्रतिवेदन Mobile App के माध्यम से State MIS पर प्रतिवेदित किया जायेगा–

पदाधिकारी	मासिक रूप से निरीक्षण की जाने वाली न्यूनतम योजनाए
क्षेत्रीय मुख्य अभियंता	10
अधीक्षण अभियंता	15
कार्यपालक अभियंता	15
सहायक अभियंता	20
कनीय अभियंता	25

d. अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) के द्वारा निगरानी अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को जलापूर्ति योजना के प्रथम सूचक के रूप में नामित किया जायेगा। उन्हें निम्नलिखित कार्य–दायित्वों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जायेगा–
   I. जलापूर्ति योजना का वितरण प्रणाली का दैनिक रूप से निरीक्षण करना और त्रुटियों को राज्य स्तरीय टोल फ्री नम्बर पर पंजीकृत कराना।
   ii. प्रत्येक माह के प्रथम वृहस्पतिवार को वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के साथ लाभुक महिलाओं की मासिक बैठक आयोजित कर जलापूर्ति योजना की कार्य समीक्षा/सामुदायिक जागरूक करना (जल चौपाल लगाना) और बैठक के सारांश को Mobile App के माध्यम से साझा करना।
   iii. वार्ड क्षेत्र में जलापूर्ति योजना से संबंधित समस्याओं को शिकायत पंजी में दर्ज करना और उसके निवारण में मरम्मति दल को सहयोग देना।
   iv. विभागीय टोल फ्री नम्बर 18001231121 के माध्यम से शिकायतों को निबंधित कराने में समुदाय को सहयोग देना।
   v. विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले फिल्ड टेस्ट किट से जल गुणवत्ता निगरानी और इसके परिणाम को स्थानीय समुदाय के बीच साझा करना।
   vi. जल गुणवत्ता अनुश्रवण हेतु जल नमूना को एकत्रित करना एवं जल जाँच प्रयोगशाला मे भेजना।

e. जलापूर्ति से संबंधित शिकायतों के निबंधन हेतु योजना स्तर पर एक शिकायत पंजी उपलब्ध होगी, जिसे पम्प ऑपरेटर द्वारा इच्छुक व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जायेगा। पम्प ऑपरेटर का दायित्व होगा कि वह जलापूर्ति योजना से संबंधित सभी शिकायतों को अंकित करें और शिकायत निवारण होते ही 24 घंटे के अन्दर इसे अद्यतन करें। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) अध्यक्ष इसका नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे और शिकायत निवारण के कार्य को सत्यापित करेंगे। प्रत्येक माह के प्रथम वृहस्पतिवार को आयोजित होने वाले जल चौपाल में शिकायत पंजी रखी जायेगी और उस पर चर्चा होगी। कनीय अभियंता मासिक रूप से शिकायत पंजी का निरीक्षण कर इसमें अपनी टिप्पणी अंकित करेंगे।

f. लोक स्वास्थ्य प्रमंडल स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में भी प्राप्त होने वाली शिकायतों का निबंधन और निराकरण से संबंधित सूचनाओं का संधारण किया जायेगा। नियंत्रण कक्ष का संचालन सहायक अभियंता (मुख्यालय) की देख–रेख में किया जायेगा और वे शिकायतों के ससमय निराकरण के लिए पूर्णतः जवाबदेह होंगे। कार्यपालक अभियंता साप्ताहिक रूप से नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण करेंगे और शिकायत निबंधन पंजी में अपनी टिप्पणी अंकित करेंगे।

5. **'जल चौपाल' में चर्चा के विषय :**

180

a. **गृह जल संयोजन प्राप्त परिवारों की संख्या :** उपभोक्ता समूह 'जल चौपाल' के दौरान यह चर्चा करेंगे की वार्ड में कुल कितने परिवार है और कितने परिवारों को गृह जल संयोजन द्वारा जलापूर्ति दी जा रही है। वैसे कितने परिवार है, जिन्हें गृह जल संयोजन नहीं मिला है अथवा वैसे परिवार हैं, जो गृह जल संयोजन के इच्छुक नहीं है या उनके पास पूर्व से वैयक्तिक बोरिंग है और उन्हें गृह जल संयोजन की आवश्यकता नहीं है। चर्चा के क्रम में गृह जल संयोजन विहीन परिवारों को चिन्हित कर उनका नाम और विवरण पम्प ऑपरेटर/अनुरक्षक को उपलब्ध कराया जायेगा और आगामी बैठक में यह समीक्षा की जायेगी कि गृह जल संयोजन का लाभ मिला है या नहीं।

b. **पेयजल उपयोग का बजट :** उपभोक्ता समूह द्वारा 'जल चौपाल' के दौरान यह चर्चा की जायेगी कि जलापूर्ति योजना से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर पानी दिया जाना है। सामान्य रूप से जलापूर्ति योजना का लाभ सभी परिवारों को मिल रहा है और वे उसका किफायती उपयोग कर रहे है, इस आधार पर आकलन किया जा सकता है। 'जल चौपाल' में जलापूर्ति के निर्धारित मानदण्ड पर उपस्थित प्रतिभागी वार चर्चा की जायेगी। चौपाल में प्रतिभागियों से 70 एलपीसीडी के मानक पर अभ्यास कराया जायेगा कि वे स्वयं प्रतिदिन कितना पानी का उपयोग करते है? वैयक्तिक आकलन में यदि ऐसा पाया जाता है कि कोई व्यक्ति ज्यादा पानी का उपयोग कर रहा है तो उन्हें पानी का महत्व इस प्रकार समझाना चाहिए कि धरती पर उपलब्ध कुल पानी में से मात्र 1 प्रतिशत हिस्सा पानी ही पीने के योग्य है और वर्षों से अंधाधुन्ध प्रयोग के कारण पीने योग्य पानी का भण्डार लगातार कम होता जा रहा है। यदि हम ऐसे ही पेयजल बर्बाद करते रहें तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिये पानी ही नहीं बचेगा। बैठक में उपस्थिति प्रतिभागियों को निर्धारित जलापूर्ति मानक के अनुरूप पेयजल का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जायेगा। अगली बैठक में प्रतिभागियों से पूछा जायेगा कि क्या उन्होने पेयजल की बर्बादी को नियंत्रित करना शुरू कर दिया? यदि नहीं तो उन्हें फिर से पानी की बर्बादी रोकने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जायेगा।

साथ ही, पेयजल के सुरक्षित भण्डार और उपयोग हेतु पेयजल रखने वाले बर्तनों को साफ रखने और कभी भी पानी में हाथ या अंगुली डाल कर उपयोग नही करने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

c. **पेयजल की बर्बादी और दुरूपयोग पर चर्चा :** 'जल चौपाल' के दौरान यह चर्चा कि जायेगी कि जलापूर्ति योजना के द्वारा आपूर्ति किया जा रहा पेयजल निर्धारित मानकों के लिए ही है। इस पेयजल का उपयोग गाड़ी धोने, पशुओं को स्नान कराने और खेतों में सिंचाई करने के लिए नहीं है। घर में उपलब्ध कराये गये गृह जल संयोजन में किसी भी प्रकार का मोटर (टुल्लु पम्प, आदि) नही लगाया जाना है। इससे दूसरे उपभोक्ताओं को प्रेशर के साथ पानी मिलने में कठिनाई होगी और लिकेज की समस्या का सामना करना पड़ेगा। बैठक पर वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति ऐसे परिवारों को चिन्हित करेगी और उनके घर पर भ्रमण कर उनका व्यवहार परिर्वतन करने के लिए प्रेरित करेगी। समिति द्वारा योजना क्षेत्र की महिलाओं और युवाओं की एक 'निगरानी समिति' बनाई जायेगी। यह समिति पेयजल की बर्बादी की निगरानी

करेगी और आवश्यकतानुसार गृह भ्रमण कर जल बर्बाद करने वाले परिवारों की काउंसलिंग करेगी। साथ ही, उपभोक्ताओं को जलापूर्ति से संबंधी किसी भी प्रकार के शिकायत निवारण के लिए पम्प ऑपरेटर के पास उपलब्ध शिकायत पुस्तिका का उपयोग किये जाने अथवा टोल फ्री नम्बर 18001231121 पर अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जायेग।

6. **'जल चौपाल' की बैठक की कार्यवाही :** जल चौपाल की कार्यवाही एक पंजी में अंकित की जायेगी और बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभगियों के द्वारा इसमें हस्ताक्षर किया जायेगा (प्रपत्र संलग्न)।

7. **'जल चौपाल' की प्रतिवेदन :** जल चौपाल का प्रतिवेदन सर्वसुलभ बनाने हेतु विभाग द्वारा मोबाईल आधारित एप्प और एमआईएस बनाया जायेगा।

अतः निदेश दिया जाता है कि राज्य के सभी वार्डों में मासिक रूप से 'जल चौपाल' का आयोजन सुनिश्चित करायेगे और क्षेत्र भ्रमण के दौरान इस गतिविधि का अनुश्रवण करेंगे। साथ ही, अपने स्तर से जिला पंचायती राज पदाधिकारी और कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को 'जल चौपाल' की गतिविधि मे शामिल होने और अनुश्रवण किये जाने का निदेश देंगे।

विश्वासभाजन

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव, पंचायति राज विभाग, बिहार

जितेन्द्र श्रीवास्तव
सचिव, लो.स्वा.अभि. विभाग, बिहार

दिनांक: 08.02.21

ज्ञापांक: WB/SPMU/LSP/1828/2019-93
प्रतिलिपि: सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान 'जल चौपाल' की गतिविधियों का अनुश्रवण कर इसके नियमित आयोजन हेतु प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी और तकनीकी सहायक को आवश्यक निदेश निर्गत करेंगे।

ह0/–
(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव ।

दिनांक: 08.02.21

ज्ञापांक: WB/SPMU/LSP/1828/2019-93
प्रतिलिपि: सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान 'जल चौपाल' की गतिविधियों का अनुश्रवण कर इसके नियमित आयोजन हेतु आवश्यक निदेश निर्गत करेंगे।

ह0/–
(जितेन्द्र श्रीवास्तव)
सचिव।

दिनांक: 08.02.21

ज्ञापांक: WB/SPMU/LSP/1828/2019-93
प्रतिलिपि: सभी अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान 'जल चौपाल' की गतिविधियों का अनुश्रवण कर इसके नियमित आयोजन हेतु आवश्यक निदेश निर्गत करेंगे।

ह0/–
(जितेन्द्र श्रीवास्तव)
सचिव।